The Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007

Act 7 of 2007

Keyword(s):
Text of Act is in Hindi, Budget, Fiscal Deficit, Financial Year, Fiscal Indicators, Revenue Deficit

Amendments appended: 3 of 2010, 5 of 2020, 11 of 2021

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

झारखण्ड सरकार

विधि (विधान) विभाग

.....

अधिसूचना

10 मई, 2007

संख्या-एल0जी0-12/2006-30/लेज0 1--झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 30 अप्रैल 2007 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007

(झारखंड अधिनियम 07, 2007)

राजकोषीय प्रबंधन में दूरदर्शिता सुनिश्चित करने, राजस्व घाटे का क्रमिक विलोपन, वित्तीय स्थायित्व के साथ ऋण प्रबंधन को उत्साहित करने, सरकार के वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाने तथा मध्यावधि ढाँचे के अनुरुप वित्तीय व्यवस्था को लागू करने तथा इससे संबंधित विषयों पर अधिनियम ।

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में झारखंड विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(i) यह अधिनियम झारखंड राजकोषीय उतरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2007 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा,

(iii) यह अधिनियम उस तिथि से प्रवृत्त समझा जायगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर निर्धारित करे ।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) 'बजट' से अभिप्रेत है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (i) के अधीन राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक आय-व्ययक,

(ii) 'चालू वर्ष' से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना प्रस्तुत की जा रही है,

(iii) 'वित्तीय वर्ष' से अभिप्रेत है अप्रैल 1 से प्रारंभ होकर अगले वर्ष के मार्च 31 को समाप्त होने वाला वर्ष,

(iv) 'राजकोषीय घाटा' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की संचित निधि में कुल जमा (ऋण जमा को छोड़कर) से अधिक होने वाला, ऋण के पुनर्भुगतान को छोड़कर, सकल व्यय,

(v) 'राजकोषीय संकेत' से अभिप्रेत है ऐसा मान जो राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए विहित किया जाय यथा संख्यात्मक अधिसीमा एवंसकल राज्य घरेलू उत्पाद का समानुपात,

(vi) 'गैर ब्याज वचनबद्ध राजस्व व्यय' से अभिप्रेत है राज्य के संचित निधि के राजस्व लेखे में राज्य की वेतन एवं पेंशन व्यय का योग,

(vii) 'बजटयेत्तर उधार' से अभिप्रेत है राज्य सरकार अथवा उसकी एजेंसी का उधार जो आय-व्ययक में प्रदर्शित नहीं होता है ।

(viii) 'विहित' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के तहत निर्मित नियमों द्वारा विहित,

(ix) 'पूर्ववर्त्ती वर्ष' से अभिप्रेत है चालू वर्ष से पूर्व का वर्ष

(x) 'प्राथमिक घाटा / बचत' से अभिप्रेत है ब्याज रहित राजकोषीय घाटा/बचत

(xi) 'रिजर्व बैंक' से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक,

(xii) 'राजस्व घाटा' से अभिप्रेत है राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के बीच का अन्तर जो बिना राज्य सरकार की आस्तियों में तदनुसार बढ़ोत्तरी के राज्य सरकार की देनदारियों में वृद्धि को दर्शाता है एवं

(xiii) 'कुल देनदारियों' से अभिप्रेत है झारखंड राज्य की संचित निधि तथा राज्य के लोक लेखा के तहत आने वाली देनदारियाँ ।

3. विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत की जाने वाली मध्यावधि राजकोषीय नीति

(1) राज्य विधान सभा के समक्ष राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक आय-व्ययक के साथ मध्यावधि राजकोषीय योजना प्रस्तुत करेगी,

(2) मध्यावधि राजकोषीय योजना अन्तर्निहित पूर्वानुमानों के स्पष्ट निरूपण के साथ विहित राजकोषीय संकेतकों के लिए एक तीन वर्षीय घूर्णन लक्ष्य निर्धारित करेगा ।

(3) मध्यावधि राजकोषीय योजना में विशेषत: उप धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का निर्धारण शामिल किया जायेगा:-

(i) राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्ययों के बीच संतुलन

(ii) उत्पादक आस्तियों के निर्माण के लिए बाजार से ऋण सहित पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग,

(iii) राज्य सरकार का मध्यावधि राजकोषीय उद्देश्य,

(iv) पूर्व में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध गत वर्ष के राजकोषीय संकेतकों के कार्यकलापों का मूल्यांकन एवं संशोधित प्राक्कलन के आलोक में चालू वर्ष में अनुमानित प्रदर्शन,

(v) राजकोषीय नीति के रुप में चालू वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्र में राज्य सरकार की नीतिगत प्राथमिकताएं एवं

(vi) चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय, उधार एवं अन्य देयताओं, ऋण देने एवं निवेश एवं अन्य कार्यकलापों, यथा गारंटी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की राजकोषीय नीतियाँ जिनके लिए संभाव्य बजटीय निहितार्थ है ।

(4) मध्यावधि राजकोषीय योजना ऐसे स्वरुप में होगी जैसा विहित किया जाय।

4. राजकोषीय प्रबंधन नीति

(1) राज्य सरकार राजस्व घाटा को समाप्त करने तथा राजकोषीय घाटा को स्व-पोषित स्तर पर रखने हेतु समुचित उपाय करेगी तथा नीचे निर्दिष्ट उपायों के द्वारा समुचित राजस्व आधिक्य तैयार करेगी:-

(क) सरकारी ऋण को विवेकपूर्ण स्तर पर बनाए रखना,

(ख) गारंटी एवं अन्य संभाव्यदेयताओं का विवेकपूर्ण प्रबंध, विशेष रुप से ऐसी देयताओं के जोखिम स्तर के संदर्भ में,

(ग) भावी पीढ़ी पर वित्तीय प्रभावों को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार की नीति का निर्धारण,

(घ) उधार उत्पादक कार्यों एवं पूँजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु लिए जाए न कि चालू व्यय के वहन के लिए,

(ङ) कर बोझ के संदर्भ में एक न्यायसंगत स्थायित्व एवं पूर्वानुमान को बनाए रखना,

(च) कर प्रणाली की निष्पक्षता एवं स्थायित्व को बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष प्रोत्साहन, रियायतें तथा कर विमुक्ति प्रदान करने से बचना,

(छ) आर्थिक क्षमता एवं अनुपालन लागत को ध्यान में रखते हुए कर नीतियों को लागू करना,

(ज) लागत वसूली एवं साम्यता का ध्यान रखते हुए गैर-कर राजस्व नीतियों का अनुसरण,

(झ) ऐसी व्यय नीतियों का अनुसरण जो आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करे,

(ञ) पूँजी निर्माण एवं उत्पादक खर्चों के उपयोग के लिए राजस्व आधिक्य का निर्माण,

(ट) सरकार की भौतिक परिसम्पत्तियों का उचित रख-रखाव,

(ठ) लोक समीक्षार्थ राजकोषीय नीति के प्रयोजन तथा लोक वित्त की स्थिति के बारे में पर्याप्त सूचना देना,

(ड) सरकारी संसाधनों को इस तरह उपयोग में लाना जो मुद्रा का सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करे साथ ही सरकारी परिसम्पत्तियों का सर्वोत्तम उपयोग,

(ढ) सार्वजनिक परिसम्पत्तियाँ एवं सेवाएं प्रदान करने वाले लोक उपक्रमों एवं लोक सेवाओं के संचालन में राजकोषीय जोखिम को न्यूनतम किया जाना,

(ण) व्यय को उगाहित राजस्व के स्तर पर बनाए रखना,

(त) सामान्य आर्थिक परिदृश्य एवं वास्तविक राजस्व दृष्टिकोण को उचित महत्व देते हुए वास्तविक एवं वस्तुनिष्ठ बजट का निर्माण किया जाना तथा वर्ष के अंतर्गत इसमें विचलन को न्यूनतम करना, एवं

(थ) साधन एवं स्रोत की सीमा में अंतशेष को रखने हेतु नकदी प्रबंध व्यवस्था के संदर्भ में उचित उपाय किया जाना जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक से बार-बार ओभरड्राफ्ट की स्थिति उत्पन्न न हो तथा नगदी अंश शेष वर्षवार धीरे-धीरे कम किया जा सके ।

5. राजकोषीय प्रबंधन लक्ष्य

(i) विशेषत: और पूर्ववर्त्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार इसे सुनिश्चित करेगी:-

(क) दिनांक 31 मार्च 2009 की समाप्ति पर राजस्व घाटे को घटाकर शून्य करना,

(ख) दिनांक 31 मार्च 2009 की समाप्ति पर राजकोषीय घाटे को घटाकर अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक सीमित करना,

(ग) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के निर्दिष्ट प्रतिशत की दर से कम करना ताकि उप कंडिका (ख)में निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सके,

(घ) 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अधिक बचत तैयार करना

(ङ) अन्य महत्वपूर्ण अनुश्रवणीय राजकोषीय लक्ष्य निम्नवत् होंगे-

(i) 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष तक राज्य राजस्व के अनुपात में वेतन के प्रतिशत को कम करते हुए 80 प्रतिशत तक लाया जाना,

(ii) 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष तक राज्य राजस्व और समादेशित राजस्व के अनुपात में गैर ब्याज वचनबद्ध राजस्व व्यय को 55 प्रतिशत तक लाया जाना, तथा

(iii) 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष तक राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व घाटा के अनुपात को 0 प्रतिशत तक लाना ।

(च) ऋण को स्वपोषित स्तर पर लाने हेतु ब्याज अदायगियों को राजस्व प्राप्तियों के 18 से 25 प्रतिशत तक सीमित रखा जाना,

(छ)) वित्तीय वर्ष 2007-08 के अन्त तक राज्य के कुल ऋण राज्य के कुल प्राप्तियों के 300 प्रतिशत तक सीमित रखा जाना,

बशर्ते जब प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य के वित्त पर अकल्पित मांग हो तो राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा इस धारा में विर्निदिष्ट अधिसीमा के अतिरिक्त हो सकेगा लेकिन ऊपर वर्णित कारणों से जो अधिक व्यय होगा वह वास्तविक वित्तीय लागत से अधिक नहीं होगा, बशर्ते यह भी कि प्रथम परन्तुक में उल्लिखित जिन विशिष्ट उद्देश्य/ उद्देश्यों के कारण राजकोषीय घाटा में वृद्धि होने की संभावना है तथा घाटा की निर्दिष्ट अधिसीमा से अधिक होने से संबंधित प्रतिवेदन कारण आदि विधान सभा के पटल पर यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाना है ।

6. राजकोषीय कार्यों में पारदर्शिता हेतु योजना

(i) राज्य सरकार सार्वजनिक हित में अपने राजकोषीय कार्यो में अधिकाधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने में जहाँ तक संभव हो गोपनीयता को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी परन्तु, राज्य सरकार के पास यह शक्ति रहेगी कि किसी भी उस तथ्य की गोपनीयता बनायी रखी जाय जिसे सार्वजनिक करने पर राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(ii) राज्य सरकार बजट के प्रस्तुतिकरण के समय लेखाकरण, मानको, नीतियों एवं संव्यवहारों में वैसे उल्लेखनीय परिवर्त्तनों एवं राजकोषीय संकेतकों की गणना पर प्रभाव डालने वाली या संभाव्य रुप में प्रभाव डालने वाली नीतियों और संव्यवहारों के संबंध में एक विवरणी प्रकाशित करेगी ।

(iii) 'बजट एक झलक' में सभी मांगों के संदर्भ में एक समेकित स्थिति प्रदर्शित की जायगी ।

(iv) अगले दस वर्षो के लिए अनुमानित वार्षिक पेंशन दायित्वों की गणना वास्तविक आधार पर की जायेगी ।

(v) वार्षिक बजट में सम्मिलित की जाने वाली नई नीतियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

(vi) बजट की सूचना इस रुप में प्रस्तुत की जायगी जो नीति विश्लेषण एवं दायित्व निर्वहन को बढ़ावा देने में सहायक हो ।

(vii) राजस्व बकाए (कर और गैर-कर राजस्व दोनों) के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्तिबजट के अनुलग्नक के रुप में अलग से प्रस्तुत की जायगी ।

(viii) निधि का आवंटन इस प्राथमिकता के आधार पर किया जायगा ताकि चालू योजनाओं को निर्धारित समयानुसार पूरा किया जाना सुनिश्चित हो सके । राज्य सरकार शून्य आधारित निवेश समीक्षा से संबंधित परियोजनाओं, इनकी समाप्ति की निर्धारित तिथि एवं पूर्ववर्त्ती वर्षो में विचलन के कारणों, यदि कोई हो, की सूची प्रस्तुत करेगी ।

(ix) वह विवरणी, जिसमें संस्थावार राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटी, संबंधित संस्था द्वारा ऋण अदा करने में असमर्थता एवं दी गयी गारंटी के तहत राज्य सरकार द्वारा ऋण अदायगी के उत्तरदायित्व के संबंध में विवरणी हो, राज्य विधान सभा में सरकार द्वारा उपस्थापित की जायेगी । इस विवरणी में सार्वजनिक उपक्रम / सहकारी समिति / शहरी स्थानीय निकायों द्वारा खोला गया एस्क्रो खाता आदि को भी दर्शाया जायेगा ।

(x) बजट के साथ सरकार, सार्वजनकि क्षेत्र एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मियों की संख्या एवं उनके वेतनादि के संबंध में एक विशेष विवरणी प्रस्तुत की जायेगी,

(xi) बजट दस्तावेज में एक वित्तीय वर्ष में कर छूट एवं विमुक्ति से संबंधित विवरण होगा ।

(xii) राज्य सरकार ऋण एवं वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में पूर्ण सूचना प्रकाशित करेगी । ऋण से संबंधित सूचना में परिपक्वता एवं ब्याज दर का उल्लेख रहेगा ।

(xiii) बजट के कार्यान्वयन तथा वित्तीय लक्ष्यों/संकेतकों की प्राप्ति के संबंध में एक प्रतिवेदन विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

7. वार्षिक बजट में दायित्वों का विवरण

(1) चालू वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार निम्न मदों पर विलम्बित देनदारियों का एक विवरण प्रस्तुत करेगी:-

(i) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षो में निर्धारित अंशदान का प्रावधान नहीं किया जाना तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में इस मद में घाटा

(ii) कोषागारों में प्रस्तुत विपत्र का नगदीकरण विगत वित्तीय वर्ष के अंत तक नहीं होना ।

(iii) प्राप्त केन्द्रीय सहायता का किसी खास वित्तीय वर्ष के अंत तक उपयोग नहीं होना,

(iv) सिविल डिपोजिट में पड़ी अव्ययित राशि

8. अनुपालन हेतु कार्रवाई

(1) वार्षिक बजट एवं बजट के समय घोषित नीतियाँ, आनेवाले वर्षो के मध्यावधि राजकोषीय योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुकूल होनी चाहिए ।

(2) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, बजट के संदर्भ में प्राप्तियों एवं व्यय की प्रवृत्तियों तथा बजट में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले अपेक्षित उपचारात्मक उपायों का पुनविलोकन करेंगे ।

(3) राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीति निर्णयों के अनुसार यदि किसी वर्ष राज्य के राजस्व में घाटा होता है, तो सरकार द्वारा उक्त घाटे को अगले वर्ष या आने वाले अगले वर्षो में सामंजित किया जायेगा या इस राजस्व घाटे के सामंजित करने के लिए राजस्व प्राप्ति की सकल राशि की वृद्धि के लिए कोई अन्य निर्णय लिया जा सकेगा या उपर्युक्त दोनों पद्धतियों को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया जा सकेगा । बशर्त्ते कि इस उप धारा के कोई प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड-(3) के तहत राज्य के संचित निधि पर भारित प्रभृत व्यय पर लागू नहीं होंगे ।

(4) राज्य सरकार के वित्त पर अकल्पिक मांगों के कारण जब राजस्व धाटा और राजकोषीय घाटा बढ़ जायेगा तब सरकार आपदाओं पर होने वाले शुद्ध

राजकोषीय व्यय को चिन्हित करेगी तथा ऐसा व्यय विनिर्दिष्ट सीमा के अनुपालन के विस्तार पर रोक लगा सकेगी ।

(5) जब कभी भी ऐसा अनुपूरक अनुमान विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा, राज्य सरकार व्यय में तदनुसार कटौती करने संबंधी विवरण भी प्रस्तुत करेगी ताकि चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना के उद्देश्यों के मद्देनजर अनुपूरक अनुमानों का वित्तीय प्रभाव पूर्णतया निष्प्रभावी हो सके ।

(6) सरकार के वित्त विभाग की अनुमति के बिना वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों से इतर कोई भी देनदारी सृजित नहीं की जायगी । इस तरह से सृजित अनधिकृत देनदारी पूर्णत: लापरवाही समझी जायेगी और ऐसे सृजित देनदारी के लिए संबंधित पदाधिकारी (पदाधिकारियों) व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होंगे ।

9. नियम बनाने की शक्ति

(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचित कर इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नियमों का निर्माण कर सकती है ।

(2) विशेषत: और पूर्ववर्त्ती अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्न विषयों में से एक अथवा सभी के संदर्भ में बनाया जा सकेगा:-

(क) धारा-3 की उपधारा-(2) के निमित्त राजकोषीय संकेतकों को विहित किया जाना,

(ख) धारा 3 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत मध्यावधि राजकोषीय नीति योजना तथा धारा-3 के उपधारा-(3) के खण्ड v के अंतर्गत राजकोषीय नीति रणनीति का विवरण का प्रकार,

(ग) धारा-6 की उपधारा-(ii) के तहत विवरण के प्रकार, तथा

(घ) कोई अन्य विषय जो अधिनियम के प्रावधानों के सुसंगत नहीं हो ।

10. नियमों का उपस्थापन

अधिनियम की इस धारा के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक नियम को विधान सभा के समक्ष यथा शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा, जब विधान सभा का सत्र चालू हो सत्रावसान के पूर्व अथवा ठीक अगले सत्र में ।

11. सदाशयता में किये गये कार्यों के लिए बचाव

राज्य सरकार या उनके पदाधिकारी पर किसी प्रकार के वाद, अभियोजन तथा अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जायगी यदि उक्त विधेयक के तहत कोई भी कार्य सदाशयता से किया गया हो या इस अधिनियम के अंतर्गत निहित नियमों के अन्तर्गत हो ।

12. विधि के विरुद्ध न होने का प्रावधान

इस अधिनियम के प्रावधान, वर्त्तमान में प्रभावी किसी विधि के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके विरुद्ध ।

13. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(1) यदि राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो सरकारी गजट में आदेश के माध्यम से ऐसा नियम बना सकती है जो इस कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक हो बशर्त्ते कि ऐसा नियम इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो,

बशर्त्ते कि इस अधिनियम के लागू होने के दो वर्षो के बाद इस धारा के तहत कोई आदेश निर्गत नहीं किया जा सकेगा ।

(2) इस धारा के अंतर्गत गठित प्रत्येक आदेश को विधान सभा के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(प्रशान्त कुमार)
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखंड, राँची ।

india.gov.in
INDIA

झारखण्ड सरकार

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 173

11 चैत्र, 1932 शकाब्द
राँची, वृहस्पतिवार 1 अप्रैल, 2010

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

1 अप्रैल, 2010

संख्या--एल०जी०-12/2006-13/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 31 मार्च, 2010 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010

[झारखण्ड अधिनियम 03, 2010]

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में बाजार ऋण की उगाही सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) 4 प्रतिशत तक स्वीकृति के आलोक में झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2007 में संशोधन हेतु अधिनियम ।

india.gov.in
INDIA

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

(i) यह अधिनियम झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2010 कहा जायेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2007 की धारा 5(1)(ख) में संशोधन:-

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2007 की धारा 5(1)(ख) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

दिनांक 31 मार्च, 2011 की समाप्ति पर राजकोषीय घाटे को घटाकर अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% (तीन प्रतिशत) तक सीमित करना ।

अधिसूचना

1 अप्रैल, 2010

संख्या--एल०जी०-12/2006-14/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 31 मार्च, 2010 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

THE JHARKHAND FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2010

[Jharkhand Act 03, 2010]

AN

ACT

To amend the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007 (Act. 07, 2007) in pursuance of the sanction of the Government of India in the Financial year 2009-10 to borrow market debt up to 4% of the Gross State Domestic Product.

india.gov.in
INDIA

Be it enacted by the Legislative of Jharkhand in the Sixtyfirst year of the Republic of India as follows :-

1. Short title extent and commencement;

(i) This Act may to called the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget management (Amendment) Act, 2010.

(ii) It shall extend to the whole of the state of Jharkhand.

(iii) It shall come in to force from the date of the notification in official Gazette.

2. Amendment in section 5 (1) (b) of the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007;

Section 5 (1) (b) of the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007 is substituted as follows :-

"Reducing fiscal deficit to 3% (Three percent) of the estimated Gross State Domestic Product at the end of 31st March 2011"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रबोध रंजन दाश,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 173--300+400 ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

19 अक्टूबर, 2020

संख्या-एल0जी0-02/2012-372/लेज0,-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीया राज्यपाल द्वारा दिनांक-14/10/2020 को अनुमत झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

THE JHARKHAND FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2020

(Jharkhand Act, 05, 2020)

AN ACT

To amend the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007 (Act 07,2007) in pursuance of the Government of India's policy on State's Fiscal Consolidation for the financial years of 2019-20 (post facto) and 2020-21 .

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Seventy First year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement :-

   (1) This Act would be called the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2020.

   (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

   (3) It shall come into force from the date of the notification in official Gazette.

2. Amendment in Section 5(1)(b) of the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007.

   (1) Section 5(1)(b) of the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007 shall be substituted as follows :-

Reduce fiscal deficit to an additional 2 (Two) percent of the estimated Gross State Domestic Product under the following conditions in Financial Year 2020-21 :-

a. Implementation of One Nation One Ration Card System;

b. Ease of Doing Business reform;

c. Urban Local Body / Utility reforms, and

d. Power Sector reforms .

Weightage of each reform is 0.25 percent of GSDP, totaling to 1 percent. The remaining borrowing limit of 1 percent consists of two equal tranches of 0.50 percent each. First tranche of 0.50 percent can be availed of untied. While second one can be availed based on the fulfillment of the reforms stipulated in at least three of the four sectors enumerated above.

(2) In Financial year 2019-20 additional OMB special drawal of Rs. 1848.00 crore was beyond the stipulated target for the financial year 2019-20.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 555 -- 50

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 कार्तिक , 1943 (श०)

संख्या-555 राँची, बुधवार, 3 नवंबर, 2021 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

2 नवम्बर, 2021

संख्या-एल०जी०-11/2017-78--लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-28/10/2021 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2021
(झारखण्ड अधिनियम संख्या-11, 2021)

वित्तीय वर्ष, 2021-22 से 2025-26 हेतु राज्यों के लिये राजकोषीय संचय की भारत सरकार की नीति के अनुसरण में झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (वर्ष 2007 का अधिनियम-7) में संशोधन हेतु एक अधिनियम ।

भारत गणराज्य के **बहत्तरवें वर्ष** में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(i) यह अधिनियम झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2007) की धारा 5(1)(ख) का प्रतिस्थापन करना।

(i) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एव बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 5(1)(ख) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत तक, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3.5 प्रतिशत तक तथा वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के लिए 3 प्रतिशत तक सीमित रखना ।"

वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त 0.50 प्रतिशत तक विद्युत प्रक्षेत्र में सुधार की शर्त्तों के साथ सीमित रखना।

जी०एस०टी० कम्पेनसेशन (क्षतिपूर्त्ति) के बदले ऋण आहरण के विकल्प 1 एवं पूँजीगत व्यय के लिए राज्य को विशेष सहायता स्कीम अन्तर्गत प्राप्त ऋण वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपरोक्त शर्त्तों के परे होगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

मुकुलेश चन्द्र नारायण,
प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

2 नवम्बर, 2021

संख्या-एल०जी०-02/2012-79--लेज० झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-28/10/2021 को अनुमत **झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम**, **2021** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके

द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2021

(Jharkhand Act, 11, 2021)

An Act to amend the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007 (Act 07, 2007) in pursuance of the Government of India's policy on State's Fiscal Consolidation for the financial years of 2021-22 to 2025-26

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Seventy Second year of the Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement:-

(i) This Act would be called the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2021.
(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
(iii) It shall come into force from the date of the notification in the official Gazette.

2. Amendment in Section 5(1)(b) of the Jharkhand Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2007.

(i) Section 5(1)(b) of the Act shall be substituted as follows :-

"Reduce fiscal deficit to 4% (Four Percent) for the fiscal year 2021-22, 3.50% (Three and a half Percent) for fiscal year 2022-23 and 3% (Three Percent) for the fiscal years 2023-24, 2024-25 and 2025-26 of the estimated Gross State Domestic Product."

Reduce fiscal deficit by an additional 0.50(Half Percent) Percent of the estimated Gross State Domestic Product for the Financial year 2021-22 to 2024-25 with the condition of performance in Power Sector.

The borrowing under option 1 of GST compensation and the borrowing under Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure will be beyond the purview of the above stipulations for the Financial Year, 2021-22.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

मुकुलेश चन्द्र नारायण,
प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 555 -- 50